प्रेस नोट　　　　बिजनौर पुलिस　　　　दिनांक–10.10.2020

नोट– आज दिनांक 10–10–2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर थाना किरतपुर व थाना नजीबाबाद पर आम जनता की समस्या को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

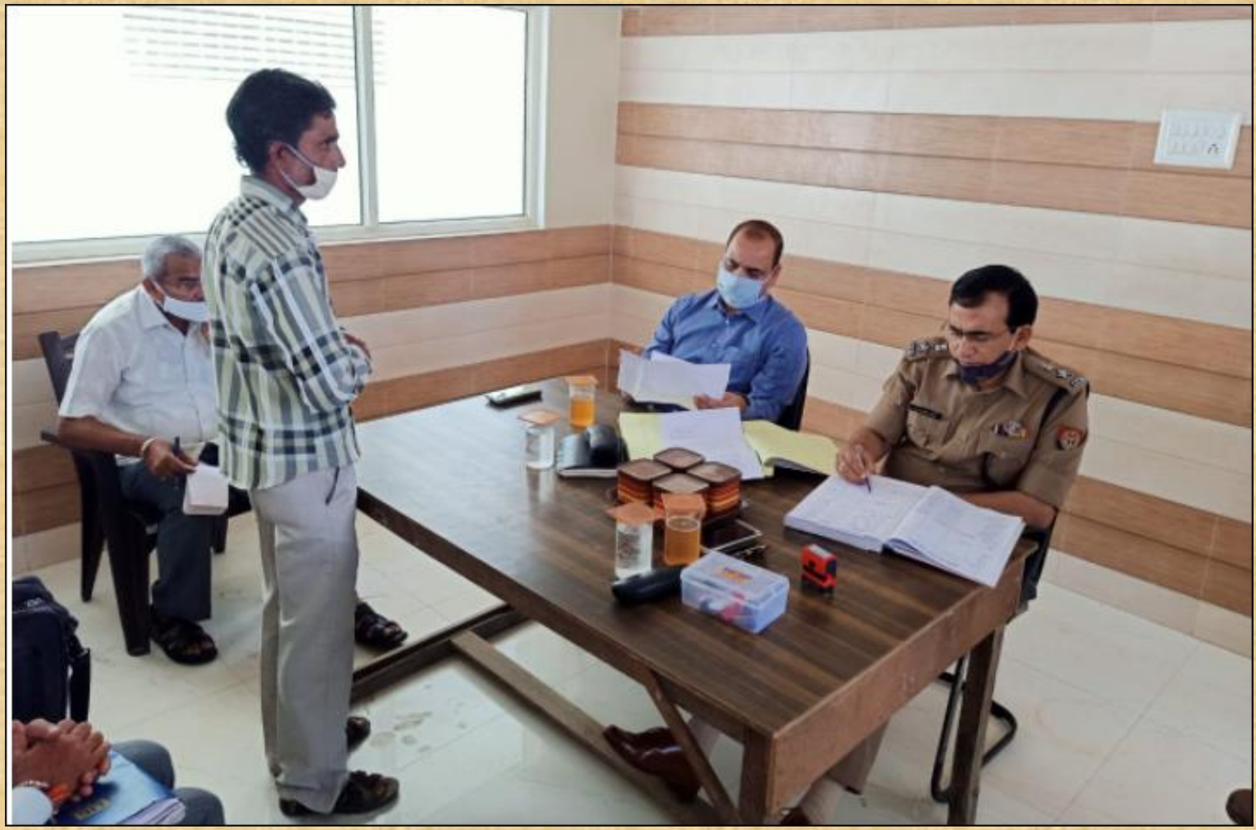

नोट– आज दिनांक 10.10.2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना किरतपुर व नजीबाबाद पर चौकीदारों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें चौकीदारो को ड्यूटी के लिए गांव में सजग रहने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए तथा उनसे जानकारी की गयी कि उनके पास साइकिल, टॉर्च व डंडा पर्याप्त मात्रा में है या नही।

नोट– आज दिनांक 10–10–2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर मुख्यता भूमि विवाद एवम् दैनिक विवादों से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा जांच कर समस्याओं का प्रभावी निस्तारण किया गया।

थाना स्योहरा– आज दिनांक 10.10.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1–तौसीफ पुत्र नूर बाबू 2–मोहम्मद अरशद पुत्र नूर बाबू निवासी गण कस्बा व थाना स्योहारा 3–मोहिन पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला मॉल बयान कस्बा सहसपुर 4–कल्याण सिंह पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम बजट कस्बा शहर पुरवा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना नूरपुर– आज दिनांक 10.10.2020 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहिद उर्फ राजा पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला सुल्तान नगर कस्बा व थाना गजरौला, जनपद अमरोहा को 400 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 322/2020 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली देहात– आज दिनांक 10.10.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त गजमफर पुत्र मुसब्बर अली निवासी ग्राम गनौरा थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर को धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नोट– आज दिनांक 10.10.2020 को रिजर्व पुलिस लाईन बिजनौर के पुलिस सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक द्वारा सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया कि बालिकाओ और महिलाओ के साथ घटित अपराधो के संबंध में प्रभावी विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अपराधियो को सजा दिलाना सुनिश्चित करे। लंबित विवेचनाओ का अभियान चलाकर निस्तारित करें। कानून एंव शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारको के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये। सभी थाना प्रभारियो को बताया गया कि निःसकोच होकर बडे से बडे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराधियो की सम्पत्ति जब्तिकरण कराना, शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही, जमानत निरस्तीकरण, थाना व जनपद के टॉप–10 अभियुक्तो के विरूद्ध कार्यवाही, सम्पत्ति संबंधी विवादो में निरोधात्मक कार्यवाही, आईजीआरएस, सीएम हैल्प लाईन, डैस्क बोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रो का समयबद्व निस्तारण, माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गये। गोष्ठी के दौरान कोरोना वायरस व लाकडॉउन के संबंध में भी दिशा–निर्देश दिये गये। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण, सभी क्षेत्राधिकारीगण सहित सभी प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष मौजूद रहे।